न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री दिनेश चन्द जैन, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 25/2017 ::

प्रार्थी :—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
नारायणलाल पुत्र श्री जसाराम कौम कुम्हार निवासी खैरवा तहसील पाली जिला पाली		1. सम्पतलाल पुत्र श्री नारायण लाल जाति कुम्हार निवासी खैरवा तहसील पाली। 2. ग्राम पंचायत खैरवा जरिए सरपंच, ग्राम पंचायत खैरवा तहसील पाली जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 (3) राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :— प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नारायण लाल
अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जब्बरसिंह

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 15/1/19

यह निगरानी प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खौरवा द्वारा प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 20.04.2015, मिसल संख्या 34/2015—16 में पारित आदेश की पालना में जारी पट्टा संख्या 32 दिनांक 17.06.2015 को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की गई है। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वकील अधीवक्ता ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी नारायणलाल कुम्हार का ग्राम खैरवां तहसील पाली मे पैतृक आवासीय मकान बना हुआ था जो अत्यधिक पुराना होने से गिर गया उक्त पैतृक मकान ग्राम खैरवा के वोपारिया के मौहल्ला मे स्थित है जिसके पड़ौस उत्तर मे आम रास्ता सड़क व दरवाजा है, दक्षिण मे पंचायत की आबादी भूमी पूर्व मे पूसाराम मगनाजी कारीगर का मकान तथा पश्चिम में कन्या पत्नी गुणेश मोची का नौहरा है। जिसका पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जरिए मिसल संख्या 48 दिनांक 19.09.1984 मे ग्राम पंचायत खैरवा द्वारा पट्टा नम्बर 21/9.01.1985 को जारी किया हुआ है। प्रार्थी निगरानीकर्ता द्वारा उपरोक्त पट्टा सुदा भूमी को हड़पने की नीयत से अप्रार्थी संख्या 2. से मिलावट कर उक्त पट्टा सुदा भूमी राज. पंचायतीराज नियमो के विरूद्ध जैर निगरानी पट्टा संख्या 32 दिनांक 17.06.2015 जारी कर दिया जो खारिज योग्य है।

जैर निगरानी आराजी प्रार्थी की पैतृक व पट्टा सुदा रहवासीय मकान की भूमी है। जिसका पट्टा संख्या 21 दिनांक 09.01.1985 ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी के हक मे जारी किया हुआ है। उक्त पट्टे को बिना किसी सक्षम न्यायालय से खारिज कराये उसके अस्तित्व में रहते हुए ग्राम पंचायत अन्य पट्टा जारी नही कर सकती है। जैर निगरानी आराजी का पट्टा पूर्व मे जारी है तथा उसके अस्तित्व मे रहते दूसरा पट्टा अप्रार्थी संख्या 1. श्री सम्पतलाल पुत्र नारायण लाल के पक्ष मे जारी किया गया है जो निरस्त फरमावें।

वकील अप्रार्थी द्वारा वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया तब पत्रावली संख्या 34/15—16 कायम की गई थी एंव प्रस्ताव भी लिया गया था। नियमानुसार कार्यवाही कर पट्टा जारी किया गया था। जो पत्रावली संलग्न पंचायत रेकार्ड से स्पष्ट है पूर्व मे प्रार्थी नारायण लाल (पिता) व पुत्र अप्रार्थी

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

सम्पतलाल के मध्यविवाद होने के कारण पट्टा बनवाया था इसके सम्बन्ध मे वर्तमान में बाद समझाईस दोनो पक्ष रजामंद है तथा जैर निगरानी पट्टा निरस्त किया जाता है तो उसे किसी प्रकार का एतराज नहीं है। इसके लिए अप्रार्थी सहमत है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एंव पंचायत के रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी नारायण लाल के पक्ष में जैर निगरानी आराजी का पट्टा संख्या 21 दिनांक 09.01.1985 मिसल संख्या 48/19.09.1984 कायम की जाकर प्रस्ताव दिनांक 01.01.1985 की पालना में जारी किया गया था, उक्त पट्टे के अस्तित्व मे रहते हुए तथा सक्षम न्यायालय से बिना अपास्त कराये इसी आराजी का दूसरा पट्टा संख्या 32 दिनांक 11.02.2015 अप्रार्थी सम्पतलाल पुत्र नारायणलाल निवासी खैरवा के नाम मिसल संख्या 34/2015–16 कायम कर प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 20.04.2015 की पालना मे जारी कर दिया गया, जो दोनो पट्टो में अंकित पड़ौस से स्पष्ट है। पंचायती राज नियमों के अनुसार जैर निगरानी आराजी का प्रार्थी श्री नारायणलाल के पक्ष में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते हुए, उसके पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में दूसरा पट्टा जारी कर दिया गया है। जिसे यथावत रखा जाना विधी सम्मत नहीं है।

परिणाम स्वरूप ग्राम पंचायत खैरवा द्वारा जारी प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 20.04.2015 तथा उसकी पालना मे जारी पट्टा संख्या 32 दिनांक 11.02.2015 जो मिसल संख्या 34/2015–16 के तहत जारी किया गया है उसे अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकार्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15/1/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चन्द्र जैन)
जिला कलक्टर, पाली

जिला कलक्टर
पाली (राज.)
15/1/19